

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या-11/आ04-1040/2025- **1832**

पटना, दिनांक- **22/9/26**

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2618, दिनांक-27.11.2025 द्वारा श्री प्रणव राज, कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-जन्दाहा के विरुद्ध विभागीय संकल्प में निहित दिशा-निर्देश के आलोक में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय-सीमा के अन्दर नहीं करने, वरीय पदाधिकारियों के निदेशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। साथ ही अधीक्षण अभियंता द्वारा विभिन्न तिथियों को CGRC पोर्टल पर लंबित शिकायतों के समीक्षा के क्रम में जन्दाहा प्रशाखा अन्तर्गत काफी मात्रा में शिकायतें निराकरण हेतु लंबित पायी गयी।

02. CGRC पोर्टल अन्तर्गत पायी गयी लंबित शिकायतों के दृष्टिगत अंचलीय कार्यालय के ज्ञापांक-2408, दिनांक-13.11.2025 एवं ज्ञापांक-2487, दिनांक-20.11.2025 द्वारा श्री राज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु श्री राज द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया।

03. वर्णित परिप्रेक्ष्य में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने, वरीय पदाधिकारियों के निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं अंचल कार्यालय द्वारा माँगी गयी स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर नहीं देने की दशा में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार सरकारी सेवक नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii) का उल्लंघन करने के आरोप में श्री प्रणव राज, कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-जन्दाहा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-157, दिनांक-20.01.2026 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

04. विभागीय निदेश के आलोक में आठ माह के उपरांत श्री राज द्वारा गठित आरोप पत्र के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया है, जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

05. उक्त वर्णित स्थिति में श्री राज के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हाजीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

06. आरोपित श्री प्रणव राज, कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-जन्दाहा को आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

07. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री प्रणव राज, कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-जन्दाहा/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हाजीपुर को दी जाय।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1040/2025-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, हाजीपुर तथा श्री प्रणव राज, कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-जन्दाहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1040/2025-

1832

पटना, दिनांक- 22/9/26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर अंचल मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

21-9-26